

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 18/2022-State Tax

Dated: 28/10/2023

No. F.3 (04)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 565 —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Delhi Goods and Services Tax (amendment) Act, 2023 (2 of 2023), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1st day of October, 2022, as the date on which the provisions of sections 2 to 15, except section 13, of the said Act shall come into force.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp-I)

No. F.3 (04)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 565

Dated: 28/10/2023

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (व्यय-I) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 18/2022-राज्य कर

दिनांक: २९/०६/२०२३

सं.फा.03(०१)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/ 565 : दिल्ली माल एवं सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 02), की धारा 1 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतदद्वारा, 1 अक्टूबर, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 को छोड़कर, धारा 2 से 15 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-I)

सं.फा.03(०१)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/ 565

दिनांक: २९/०६/२०२३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ।
3. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- ✓ 11. वेब साईट।
12. गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-I)

9/12/2017